

# मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

ई-मेल : [vyapam@mp.nic.in](mailto:vyapam@mp.nic.in) वेबसाईट : [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in)

## प्री-मेडीकल टेस्ट (पी.एम.टी.-2009) के संबंध में संशोधन

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1930/1771/09/1/पचपन दिनांक 10 जून, 2009 के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) नं. 13111/2009 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.05.2009 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्राइवेट मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेज्युएट एवं अंडर ग्रेज्युएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संपादित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं में 15 प्रतिशत सीट्स एन.आर.आई. हेतु आरक्षित होंगी, जो कि प्राइवेट मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों द्वारा भरी जाएगी। शेष बची 85 प्रतिशत सीटों में 50 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार द्वारा भरी जाएंगी तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें प्राइवेट मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों द्वारा भरी जाएंगी।"

उपरोक्तानुसार दिनांक 20.05.2009 को पी.एम.टी.-2009 हेतु मण्डल द्वारा जारी विज्ञापन क्रं. 19-'बी' एवं 20-'ए' के नियमों में उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार संशोधन करते हुए पढ़ा जाये। विस्तृत विवरण मण्डल की वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध है।

विज्ञापन क्रं. 24/2009

संचालक  
म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल